

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]	दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 3, 2006/पौष 13, 1927	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 586
No. 1]	DELHI, TUESDAY, JANUARY 3, 2006/PAUSA 13, 1927	[N.C.T.D. No. 586

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 3 जनवरी, 2006

1. सं. फा. 7/1/99/रा.स्थ./स.र./7146.—(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम संख्या 17) की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सर्वश्री एस.एम.भारद्वाज, एस.डी.ओ. (दिल्ली कैंट) एवं विश्वेन्द्र, एस.डी.ओ. (वसंत विहार) को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जब तक वह इस पद पर बने रहते हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

2. सं. फा. 7/1/99/रा.स्थ./स.र./7146.—(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का अधिनियम संख्या 3) की धारा 223 के साथ पठित धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सर्वश्री एस.एम.भारद्वाज, एस.डी.ओ. (दिल्ली कैंट) एवं विश्वेन्द्र, एस.डी.ओ. (वसंत विहार) को उस समय तक सहायक

कलैक्टर, प्रथम श्रेणी के रूप में नियुक्त करते हैं तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उस समय तक कलैक्टर की सभी शक्तियाँ जब तक वह इस पद पर बने रहते हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

3. सं. फा. 7/1/99/रा.स्थ./स.र./7146.—(iii) दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 76 के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा सर्वश्री एस.एम.भारद्वाज, एस.डी.ओ. (दिल्ली कैंट) एवं विश्वेन्द्र, एस.डी.ओ. (वसंत विहार) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सहायक कलैक्टर, प्रथम श्रेणी तथा राजस्व सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उस समय तक कलैक्टर की सभी शक्तियाँ जब तक वह इस पद पर बने रहते हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

4. सं. फा. 7/1/99/रा.स्थ./स.र./7146.—(iv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू उत्तरी भारत नहर तथा जल निकास अधिनियम, 1873 (1873 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 3 के खण्ड 6 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर की सभी शक्तियों तथा कार्यों

assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
R. K. VERMA, Spl. Secy. (TAXATION)

भूमि व भवन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 जनवरी, 2006

सं. एफ 11(35)/05/भू.व भ./भू.अ./11968.—भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 48 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित भूमि को अधिग्रहण संख्या एफ. 7(23)/77/भू. व भ./34495 दिनांक 16-10-81 धारा 4 और घोषणा धारा 6 संख्या एफ. 7(23)/77/भू. व भ./13293 दिनांक 08-04-82 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 द्वारा अधिसूचित की गयी थी, को मुक्त करने हेतु सहर्ष निर्देश देते हैं।

विशिष्ट विवरण

गांव या क्षेत्र	कुल क्षेत्र (वर्ग गज)	क्षेत्र सं. व चारदीवारी
मकान नं. 96 का खुला भाग, बाबर रोड, नई दिल्ली	62 वर्ग गज	पूर्व—स्कूल लेन पश्चिम—बंगला नं. 98 उत्तर—28' चौड़ी सड़क दक्षिण—बंगला नं. 96

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
विजय खन्ना, उप-सचिव (भू. व भ.)

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd January, 2006

No. F. 11(35)/05/LA/S&B/11968.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 48 of the Land Acquisition Act, 1894, the Lt. Governor, Delhi is pleased to withdraw the following area from acquisition covered by notification U/s 4, F. No. 7(23)/77-L&B/34495 dated 16-10-81 and declaration U/s 6 No. 7(23)/77-L&B/13293 dated 08-4-82 of the Land Acquisition Act.

SPECIFICATION

Village or Locality	Total Area or Boundaries	Field Nos.
Open portion of House No. 96. Babar	62 Sq. Yds.	East : School Lane West : Bungalow No. 98

Road, New
Delhi

North : 28' Wide
Road
South : Bungalow
No. 96

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

VIJAY KHANNA, Dy. Secy. (LA)

वित्त (टी. व.ई.) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 जनवरी, 2006

सं. फा. 4(1)/वैट/वित्त(ई-11)/2005/1122ख.—दिनांक 27-6-2005 की अधिसूचना संख्या फा. 101(341)/2005/वित्त लेखा (2)/1592 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संबंधित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 73 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप-राज्यपाल, इसके द्वारा श्री जी. के. मारवाह, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को उनके कार्यभार ग्रहण करने के तीन वर्ष की अवधि तक के लिए दिल्ली मूल्य संबंधित कर अपील न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
डॉ. पूजा गुप्ता, उप सचिव

FINANCE (TAX & ESTT) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd January, 2006

No. F. 4/1/VATAT/Fin. (E-II)/2005/1122Kha.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 73 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005) read with Notification No. F. 101 (341)/2005-Fin. (A/Cs)(II)/1592 dated 27-6-2005 the Lieutenant Governor, Govt. of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh. G. K. Marwah, IAS (Retd.), as Administrative Member of the Delhi Value Added Tax Appellate Tribunal for the period of Three years from the date he assumes office.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

Dr. POOJA GUPTA, Dy. Secy.

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 जनवरी, 2006

सं. एफ. 11(133/2003/विद्युत/12).—संख्या एफ. 8(18)/दि.वि.वि.आ./2005—2006/3635 विद्युत अधिनियम, 2003

के अनुच्छेद 181 के साथ पठित अनुच्छेदों 39, 40, 42 द्वारा प्रदत्त अधिकारों तथा इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, प्रेषण एवं वितरण प्रणाली एवं इसके नियम एवं शर्तों के ओपन ऐक्सेस के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. संक्षिप्त नाम एवं आरम्भ.—(1) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (ओपन ऐक्सेस के लिए नियम और शर्तों) विनियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) यह विनियम अधिकारिक गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

(3) यह विनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तक विस्तारित होंगे।

2. परिभाषायें.—(1) जब तक संदर्भ की आवश्यकता कुछ और न हो, इन विनियमों में—

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) से है;

(2) "केंद्रीय आयोग" का तात्पर्य अधिनियम के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत गठित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन) से है;

(3) "आयोग" का तात्पर्य अधिनियम की अनुच्छेद 82 की उप-अनुच्छेद (1) के प्रथम प्रावधान की शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग है;

(4) "ग्रिड कोड" का अर्थ अधिनियम के अनुच्छेद 79 के उप-अनुच्छेद (1) की धारा (एच) के अंतर्गत केंद्रीय आयोग द्वारा विशेष उल्लिखित "ग्रिड कोड" है, और इसमें आयोग द्वारा अधिनियम के अनुच्छेद 86 के उप-अनुच्छेद (1) के धारा (एच) के तहत विशेष उल्लिखित स्टेट ग्रिड कोड शामिल है।

(5) "नोडल एजेंसी" का मतलब प्रेषण में लंबी अवधि के लिए ओपन ऐक्सेस की व्यवस्था करने के उद्देश्य से स्टेट पारेषण यूटिलिटी तथा अल्प अवधि ओपन ऐक्सेस की व्यवस्था के उद्देश्य से स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर है। वितरण में अल्प तथा लंबी अवधि दोनों के लिए ओपन ऐक्सेस के लिए स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर "नोडल एजेंसी" होगा।

(6) अपने क्षेत्र की आपूर्ति के लाइसेंसी वितरक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से विद्युत आपूर्ति हासिल करने की स्वीकृति जिस व्यक्ति को आयोग ने दी है, उसे "ओपन ऐक्सेस ग्राहक" कहेंगे तथा इसमें वैसी उत्पादक कंपनी और लाइसेंसधारक शामिल हैं जिन्होंने ओपन ऐक्सेस की सुविधा हासिल की हो अथवा हासिल करना चाहते हों।

(7) "स्टेट" (राज्य) का तात्पर्य राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र से है।

(8) "राज्य सरकार" का तात्पर्य राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के उपराज्यपाल से है जिनकी नियुक्ति अनुच्छेद की धारा 239 के अंतर्गत

भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा संविधान की अनुच्छेद 239 ए के अंतर्गत अभिहित किया जाता है।

(9) "स्टेट पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू)" का तात्पर्य राज्य में अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार का कार्य कर रहे स्टेट पारेषण यूटिलिटी है।

(10) "स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी)" का तात्पर्य राज्य में अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार का कार्य कर रहे स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त उन शब्दों और उक्तियों जिनकी व्याख्या यहां ऊपर नहीं की गयी है, का वही अर्थ होगा जो उनके लिए अधिनियम में दिया गया है।

3. प्रयोग की सीमा.—ओपन ऐक्सेस के लिए यह विनियम अधिनियम के अनुच्छेद 2 के क्रमशः उप-धारा (37) एवं उप-धारा (19) में व्याख्यायित शब्द के अर्थ के अधीन राज्य में राज्य के अंदर प्रेषण प्रणाली एवं वितरण प्रणालियों के लिए प्रयुक्त होंगे।

4. ओपन ऐक्सेस के लिए पात्रता तथा शर्तों की पूर्ति.—

(1) लाइसेंस धारकों, वैसे व्यक्ति जिन्होंने प्रग्रहित उत्पादन संयंत्र की स्थापना कर ली हो, सहित उत्पादन कंपनियों तथा इच्छुक ग्राहक बिना भेदभाव के स्टेट पारेषण यूटिलिटी अथवा किसी भी लाइसेंस धारी के राज्य के अंदर पारेषण प्रणाली के ओपन ऐक्सेस का पात्र होगा, बशर्ते कि राज्य के अंदर पारेषण प्रणाली में पर्याप्त पारेषण सुविधा उपलब्ध हो, और बशर्ते कि समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित पारेषण शुल्क का भुगतान हो।

परन्तु यदि यह ओपन ऐक्सेस किसी उपभोक्ता के प्रयोग के लिए राज्य में किसी लाइसेंसी वितरक के आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत पारेषण, हस्तांतरण अथवा व्हीलिंग के लिए पहुंचना हो, तब राज्य के अंदर पारेषण प्रणाली में ऐसा ओपन ऐक्सेस सरचार्ज के भुगतान की शर्त पर होगा जिसका निर्धारण अधिनियम के अनुच्छेद 42 के सब-अनुच्छेद (2) के अंतर्गत समय-समय पर आयोग करेगा।

(2) लाइसेंसधारी, उत्पादन कंपनियां वैसे व्यक्तियों सहित जिन्होंने प्रग्रहित उत्पादन संयंत्र (कैपटिव जेनरेटिंग प्लांट) स्थापित किये हों, विनियम 5 के अंतर्गत उल्लिखित ओपन ऐक्सेस की अवधि के लिए प्रवेश के अनुरूप और संचालन अवरोध रहित वितरण प्रणाली की शर्त पर तथा समय-समय पर आयोग द्वारा तय व्हीलिंग शुल्क और सरचार्ज के भुगतान की शर्त पर, लाइसेंसी वितरक की वितरण प्रणाली में ओपन ऐक्सेस के पात्र होंगे।

परन्तु यदि यह ओपन ऐक्सेस किसी उपभोक्ता के प्रयोग के लिए राज्य में किसी लाइसेंसी वितरक के आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत हस्तांतरण अथवा व्हीलिंग के लिए पहुंचना हो, तब वितरण प्रणाली में ऐसा ओपन ऐक्सेस अतिरिक्त सरचार्ज के भुगतान की शर्त पर होगा, जिसका निर्धारण अधिनियम के अनुच्छेद 42 के उप-अनुच्छेद (4) के अंतर्गत समय-समय पर आयोग करेगा।

स्पष्टीकरण : इन विनियमों के अधीन ओपन ऐक्सेस के उद्देश्य के संदर्भ में वितरण प्रणाली में संचालन अवरोध में शामिल हैं वितरण

प्रणाली में पर्याप्त क्षमता की उपलब्धि समुचित मापन तथा उर्जा गणना एवं गणना किया जा सके।

5. ओपन ऐक्सेस को अवगत कराने की अवधि.—(1) इन विनियमों अथवा अधिनियम में धारित प्रतिबंधों की पूर्ति की शर्त पर राज्य के अंदर पारेषण प्रणाली की ओपन ऐक्सेस की अनुमति अविलंब दी जाएगी।

(2) निम्नलिखित अवस्थाओं (फेजेज) में निर्बाध संचालन की शर्त पर राज्य में वितरण प्रणाली में ओपन ऐक्सेस की अनुमति दी जाएगी :

क्रम सं.	विवरण	अवगत कराने की तिथि
ए.	पांच मेगावाट और उससे अधिक संबद्ध भार वाले उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग के लिए विद्युत प्रदान करना	01 जुलाई, 2007
बी.	तीन मेगावाट और उससे अधिक संबद्ध भार वाले उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग के लिए विद्युत प्रदान करना	01 जनवरी, 2008
सी.	एक मेगावाट और उससे अधिक संबद्ध भार वाले उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग के लिए विद्युत प्रदान करना	01 जुलाई, 2008

संचालन बाधाओं तथा अन्य कारकों के पुर्नवलोकन की शर्त पर 01 जुलाई, 2007 के पश्चात् एक मेगावाट से कम आवश्यकता क्षमता वाले उपभोक्ताओं को आयोग ओपन ऐक्सेस की अनुमति दे सकता है।

6. वर्तमान ओपन ऐक्सेस ग्राहकों के लिए विशेष प्रावधान.— वर्तमान में लागू समझौते अथवा व्यवस्था के अंतर्गत राज्य में वितरण प्रणाली और राज्य के अंदर पारेषण प्रणाली में ओपन ऐक्सेस प्राप्त व्यक्तियों को पहले की ही भांति लागू प्रतिबंधों और शर्तों पर ओपन ऐक्सेस उपलब्धि वर्तमान समझौते या व्यवस्था की समाप्ति तक, आयोग द्वारा समय-समय पर तय पारेषण शुल्क, व्हीलिंग शुल्क और सरचार्जों के भुगतान की शर्त पर जारी होगा।

7. ओपन ऐक्सेस ग्राहकों का वर्गीकरण.—(1) विनियम 6 के प्रावधानों के मुताबिक राज्य के अंदर पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली के उपयोग की अवधि के आधार पर ओपन ऐक्सेस ग्राहकों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जायेगा :

(ए) दीर्घ-अवधि ओपन ऐक्सेस ग्राहक; तथा

(बी) अल्प-अवधि ओपन ऐक्सेस ग्राहक।

(2) एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए ओपन ऐक्सेस प्राप्त या प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति अल्प-अवधि ओपन ऐक्सेस ग्राहक होंगे।

(3) 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए ओपन ऐक्सेस प्राप्त या प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति दीर्घ-अवधि ओपन ऐक्सेस ग्राहक होंगे। अल्प-अवधि ओपन ऐक्सेस ग्राहक अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीन ओपन ऐक्सेस प्राप्ति के पात्र होंगे और क्षमता आवंटन के लिए नये प्रार्थी माने जायेंगे।

8. आवंटन प्राथमिकता.—(1) ओपन ऐक्सेस अनुमति की प्राथमिकता का निर्णय साधारणतः अल्प-अवधि ओपन ऐक्सेस ग्राहक पर दीर्घ-अवधि ओपन ऐक्सेस ग्राहक की वरीयता की कसौटी पर होगा।

(2) राज्य के अंदर पारेषण प्रणाली में उपलब्ध क्षमता और संचालन अवरोधों के निर्धारण के वितरण प्रणाली में उपलब्ध क्षमता, वर्तमान ग्राहकों द्वारा इसके उपयोग तथा राज्य में वितरण लाइसेंस धारकों के उपभोक्ताओं को विद्युत के पारेषण, वितरण एवं खुदरा आपूर्ति क्षमता के पहले से ही वचनबद्धता के निर्धारण के पश्चात् ही ओपन ऐक्सेस की अनुमति दी जायेगी।

(3) उपरोक्त के आलोक में ओपन ऐक्सेस की अनुमति का निर्णय पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर किया जायेगा।

(4) राज्य के अन्दर पारेषण प्रणाली तथा/या वितरण प्रणाली में जनहित अथवा लिखित कारणों पर एक सामान्य अथवा विशेष आज्ञा पर आयोग उपरोक्त मानकों से हट कर किसी भी व्यक्ति को ओपन ऐक्सेस की अनुमति प्रदान कर सकता है।

9. क्षमता निर्धारण.—(1) पारेषण लाइसेंसधारियों तथा ओपन ऐक्सेस की मांग करने वाले व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के पश्चात् राज्य के अंदर पारेषण प्रणाली में दीर्घ-अवधि के लिए ओपन ऐक्सेस की उपलब्धता का निर्धारण स्टेट पारेषण यूटिलिटी तथा अल्प-अवधि के लिए स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर करेगा।

(2) वितरण लाइसेंसधारियों तथा ओपन ऐक्सेस की मांग करने वाले व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के पश्चात् दीर्घ-अवधि तथा अल्प-अवधि ओपन ऐक्सेस के लिए वितरण प्रणाली में क्षमता की उपलब्धि का निर्धारण के अतिरिक्त संचालन अवरोधों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, जो ओपन ऐक्सेस को प्रभावित करता है, का निर्धारण स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर करेगा।

(3) स्टेट पारेषण यूटिलिटी या स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा निर्धारित उपलब्ध पारेषण प्रणाली की क्षमता अथवा वितरण प्रणाली में उपस्थित या अनुपस्थित संचालन अवरोधों पर किसी विवाद की स्थिति में इसके निर्णय के लिए आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) उपरोक्त उप-विनियम (iii) के अंतर्गत अथवा अन्य विवाद पर निर्णय करते हुए आयोग समय-समय पर सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा वितरण प्रणाली में संचालन अवरोधों के संदर्भ ओपन ऐक्सेस के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा अनुपालन के लिए शर्तों का निर्धारण कर सकता है और इनकी संतुष्टि की शर्त पर ओपन ऐक्सेस की अनुमति दी जायेगी।

(5) शर्तों में शामिल हो सकते हैं समर्पित विद्युत लाइनों या उप-स्टेशनों से कार्य या फीडर लाइन के निर्माण, संचालन या रखरखाव या ऐसे कार्यों को पूरा करना जिसे आयोग ओपन ऐक्सेस के निर्बाध संचालन के लिए आवश्यक समझता है।

10. ओपन ऐक्सेस की मांग के लिए प्रक्रिया.—(1) ओपन ऐक्सेस के इच्छुक व्यक्ति, सर्वप्रथम संबद्ध नोडल एजेंसी को प्रार्थना पत्र

देंगे। प्रार्थना पत्र में अधिकतम पावर (MW/kW) जिसका पारेषण या व्हीलिंग, प्रणाली में किया जाना है और उससे संबंधित विवरण होना चाहिए और तदनुसार आवेदक के लिए प्रणाली में क्षमता निर्धारण प्रविष्टि बिन्दु निकासी बिन्दु, ओपन ऐक्सेस की प्राप्ति अवधि और घंटे तथा अन्य किसी भी सूचना जिसकी जरूरत नोडल एजेंसी को हो, प्रार्थना पत्र में स्पष्ट करें।

(2) ओपन ऐक्सेस के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित तालिका में दिये गये अप्रत्यर्पणीय संसाधन शुल्क संलग्न होना चाहिए।

	विवरण	राशि (रुपये में)
पारेषण ओपन ऐक्सेस	दीर्घ कालिक	एक लाख
	अल्प कालिक	दस हजार
वितरण ओपन ऐक्सेस	दीर्घ कालिक	पच्चीस हजार
	अल्प कालिक	दो हजार पांच सौ

(3) नोडल एजेंसी राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा अथवा राज्य केन्द्र के परामर्श से, जैसी भी स्थिति हो, उपलब्ध क्षमता और ओपन ऐक्सेस की अनुमति देने में प्रचालनात्मक बाधाओं के मौजूद होने अथवा न होने का निर्धारण करेगा तथा आवेदनकर्ता को नीचे दिए गए निर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर निर्णय से अवगत कराएगा।

क्रम संख्या	सेवा/कार्यकलाप का प्रकार	अधिकतम प्रक्रम अवधि
1	2	3
1.	अल्प कालिक सेवा (पहले-आओ-पहले पाओ के आधार पर ली जाने वाली अवधि के लिए)	आवेदन प्राप्त होने के चार घंटे के अंदर
	उसी दिन के लिए (केवल आपातकालीन)	आवेदन प्राप्त होने के आठ घंटे के अंदर
	एक दिन तक (अनुपेक्षित कम से कम एक दिन पहले प्राप्त होने पर)	आवेदन प्राप्त होने से दो दिन के अंदर
	एक सप्ताह तक	आवेदन प्राप्त होने से तीन दिन के अंदर
	एक सप्ताह से अधिक होने पर	
2.	दीर्घ कालिक सेवा	
	प्रणाली को मजबूत किए बिना ऐक्सेस की संभाव्यता के संबंध में सूचना	आवेदन प्राप्त होने से तीस दिन के अंदर

लागत प्राक्कलन और पूर्ण होने की समयावधि के साथ प्रणाली को मजबूत किए जाने के लिए अध्ययनों के परिणामों की सूचना

आवेदन प्राप्त होने के साठ दिन के अंदर

(4) नोडल एजेंसी "स्टेट पारेषण यूटिलिटी (STU)" द्वारा यथा निर्णीत सिद्धांतों और मार्गनिर्देशों के अनुरूप उपलब्ध क्षमता अथवा प्रचालनात्मक बाधाओं की मौजूद होने के बारे में निर्णय लेगा। "स्टेट पारेषण यूटिलिटी (STU)" ऐसे सिद्धांतों के बारे में इन विनियमों के प्रकाशित होने के तीस दिन के अंदर निर्णय लेगा।

(5) नोडल एजेंसी ओपन ऐक्सेस को सक्रिय करने हेतु आवश्यक पूर्वापेक्षाओं के बारे में भी आवेदक को सूचित करेगा। ऐसी पूर्वापेक्षाएं समय-समय पर आयोग द्वारा यथा निर्देशानुसार होंगी।

11. ओपन ऐक्सेस क्षमता का उपयोग न किया जाना।—

(1) अल्प कालिक ओपन ऐक्सेस प्राप्त ग्राहक के, उसको आबंटित क्षमता का पूरा अथवा काफी भाग, किसी भी दिन, चार घंटे से अधिक समय के लिए, निरंतर उपयोग कर पाने में असमर्थ होने की स्थिति में, ऐसा अल्पकालिक ओपन ऐक्सेस प्राप्त ग्राहक संबंधित "स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDC)" को क्षमता का उपयोग करने में उसकी असमर्थता, तत्संबंधी कारणों सहित, सूचित करेगा और उसको आबंटित क्षमता के उपयोग को वापस सौंप देगा। तथापि, ऐसी क्षमता को आबंटित किए जाने के समय तक मूल आरक्षित क्षमता पर आधारित पूरे पारेषण और/अथवा व्हीलिंग प्रभार का भुगतान करेगा।

(2) नोडल एजेंसी की अनुमति के बिना कोई भी दीर्घ कालिक ओपन ऐक्सेस ग्राहक करार में निर्धारित उसके अधिकारों और दायित्वों को नहीं छोड़ेगा अथवा अंतर्गत करेगा। किसी दीर्घ कालिक ओपन ऐक्सेस ग्राहक द्वारा ऐसे अधिकारों और दायित्वों को छोड़ा जाना अथवा अंतरण करना, दीर्घ कालिक ओपन ऐक्सेस करार की शर्तों के अनुसार, मुआवजे के भुगतान को अध्याधीन होगा।

(3) "स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDC)" किसी अल्पकालिक ओपन ऐक्सेस ग्राहक को आबंटित क्षमता को रद्द कर सकता है अथवा कम कर सकता है, यदि ऐसा अल्प कालिक ओपन ऐक्सेस प्राप्त ग्राहक प्रायः आबंटित क्षमता से कम उपयोग करता है अथवा "स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDC)" को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, जैसी भी स्थिति हो, आबंटित क्षमता का उपयोग करने में अपनी असमर्थता नहीं सूचित करता है:

परंतु ऐसे ग्राहक जिसकी आरक्षित आबंटित क्षमता रद्द अथवा कम की जा रही है, को सूचित किए बिना इस खंड के अंतर्गत आबंटित क्षमता को रद्द अथवा कम नहीं किया जाएगा।

(4) उपरोक्त उप-विनियम (i) के अंतर्गत, अल्पकालिक ओपन ऐक्सेस प्राप्त ग्राहक द्वारा सौंपे जाने के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त उपलब्ध क्षमता अथवा उपरोक्त उप-विनियम (iii) के अंतर्गत, "स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDC)" द्वारा कम की गई अथवा रद्द की क्षमता, किसी अन्य अल्पकालिक ओपन ऐक्सेस प्राप्त ग्राहक को आबंटित की जा सकती है।

12. **लागू प्रभार.**—(1) ओपन ऐक्सेस प्राप्त ग्राहक पारेषण प्रभारों, व्हीलिंग प्रभारों, अधिकारों, अतिरिक्त अधिभारों, शेड्यूलिंग प्रभारों, [“स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDC)” को देय], अनियत एकान्तरण (UI) प्रभारों, प्रतिक्रिय उर्जा प्रभारों और ऐसे अन्य प्रभारों जो आयोग, अधिनियम की धारा 61, 62 और 86 के अंतर्गत कर के भाग के रूप में, समय-समय पर निर्धारित करें अथवा अन्यथा निर्णय लें अथवा नोडल अभिकरण को अधिनियम के अंतर्गत उसकी विनियामक शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रभारित करने के लिए प्राधिकृत करें।

(2) आयोग, पारेषण प्रणाली अथवा वितरण प्रणाली को ओपन ऐक्सेस के लिए प्रभारों का निर्धारण करते समय, बिजली के पारेषण और/अथवा व्हीलिंग के पश्चात्, धनराशि के रूप में अथवा गंतव्य को दी जाने वाली बिजली की प्रमात्रा में, प्रणाली में हुई हानियों के लिए, जैसा कि आयोग उपयुक्त समझे समंजन करेगा।

13. **कटौती प्राथमिकता.**—जब पारेषण बाधाओं अथवा अन्यथा के कारण, पारेषण सेवा को कम किया जाना आवश्यक हो जाए, पहले अल्प कालिक ओपन ऐक्सेस प्राप्त ग्राहकों और उसके पश्चात् दीर्घकालिक ओपन ऐक्सेस प्राप्त ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा को कम किया जाएगा:

परंतु यह कि एक श्रेणी के अंदर, ओपन ऐक्सेस प्राप्त ग्राहकों की समान कटौती प्राथमिकता होगी और कटौती यथानुसार आधार पर की जाएगी:

परंतु यह भी है कि ऐसी कटौती की स्थिति में, ओपन ऐक्सेस प्राप्त ग्राहकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले पारेषण अथवा व्हीलिंग प्रभार, उनकी कटौती की गई क्षमता के अनुपात में कम कर दिया जाएगा।

14. **अन्य शर्तें.**—(1) ओपन ऐक्सेस प्राप्त ग्राहक आयोग द्वारा समय-समय पर निर्देशित मीटर संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। मीटरों का रखरखाव हमेशा अच्छे प्रकार से किया जाएगा और संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति इनकी जांच कर सकेगा।

(2) ओपन ऐक्सेस प्राप्त ग्राहक ग्रिड संहिता, “स्टेट पारेषण यूटिलिटी (STU)” और “स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDC)”, राज्य भार प्रेषण केंद्र और अन्य प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का पालन करेंगे।

(3) ओपन ऐक्सेस प्राप्त ग्राहक अधिनियम के उपलब्धों, नियमों और विनियमों, निर्देशों, मार्गनिर्देशों और समय-समय पर आयोग द्वारा जारी आदेशों का पालन करेंगे।

15. **संसूचना व्यवस्था.**—राज्य भार प्रेषण केंद्र अपने वेबसाइटों पर “ओपन ऐक्सेस संबंधी संसूचना” नामक एक अलग वैब-पृष्ठ पर निम्नलिखित जानकारी को रखेंगे :

(1) विद्यमान अल्पकालिक ग्राहकों पर एक स्थिति रिपोर्ट जिसमें निम्नलिखित सूचना होगी :—

(a) ग्राहक का नाम ;

(b) स्वीकृत की गई पहुंच की अवधि (आरंभ तारीख/समय और समाप्ति तारीख/समय) ;

(c) अन्तःक्षेप का/ के बिन्दु ;

(d) निकालने का/ के बिन्दु ;

(e) प्रयुक्त पारेषण/वितरण प्रणाली (क्षेत्र और स्वामित्व के रूप में) ;

(f) आरक्षित क्षमता ; तथा

(g) लागू दर (रुपये प्रति मैगावाट प्रतिदिन);

(2) विगत अल्पकालिक ग्राहकों पर माह-वार और वर्ष-वार रिपोर्ट जिसमें निम्नलिखित सूचना होगी।

(a) ग्राहक का नाम ;

(b) स्वीकृत की गई पहुंच की अवधि (आरंभ तारीख/समय और समाप्ति तारीख/समय) ;

(c) अन्तःक्षेप का/ के बिन्दु ;

(d) निकालने का/ के बिन्दु ;

(e) प्रयुक्त पारेषण/वितरण प्रणालियां;

(f) आरक्षित क्षमता ;

(g) लागू दर (रुपये प्रति मैगावाट प्रतिदिन); और

(h) वास्तविक भार घटक।

16. **विवाद समाधान :** (1) ओपन ऐक्सेस से संबंधित सभी परिवादों और विवादों के संबंध में “स्टेट पारेषण यूटिलिटी (STU)” अथवा “स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDC)” को, जैसी भी स्थिति हो, शिकायतें प्रस्तुत की जाएंगी, जो छानबीन कर सकता है और परिवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास कर सकता है।

(2) यदि “स्टेट पारेषण यूटिलिटी (STU)” अथवा “स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDC)” परिवाद अथवा शिकायत अथवा विवाद का निपटान करने में असमर्थ होता है, तो मामले को, “स्टेट पारेषण यूटिलिटी (STU)” अथवा “स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDC)” द्वारा, न्याय निर्णय के लिए आयोग को सौंप दिया जाएगा।

17. **आदेश और प्रक्रिया निर्देश जारी करना.**—बिजली अधिनियम, 2003 के अपबंधों और इन विनियमों के अध्यक्षीन, आयोग, समय-समय पर इन विनियमों के कार्यान्वयन और मामलों के संबंध में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्देश जारी करेगा, जिसके लिए आयोग को इन विनियमों के अंतर्गत निर्देश देने तथा तत्संबंधी अनुपंगी अथवा प्रासंगिक मामलों के लिए अधिकृत किया गया है।

18. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्तियां.**—इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर आयोग ऐसे कार्य करेगा अथवा कर सकता है अथवा एक सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा पारेषण अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपयुक्त कार्यवाही करने, जो अधिनियम के असंगत न हो, के लिए

निर्देशित करेगा, जो आयोग के अनुसार कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य हेतु आवश्यक अथवा उचित हो।

19. संशोधन की शक्ति. — आयोग, किसी भी समय, संशोधन (संशोधनों के द्वारा इन विनियमों के किसी उपबंध को परिवर्तित, रूपांतरित अथवा संशोधित कर सकता है।

20. पूछताछ और जांच-पड़ताल. — दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा उसके कार्य-संचालन विनियमों के उपबंधों के अनुसार एक कार्यवाही के माध्यम से सभी पूछताछ, जांच-पड़ताल और न्याय निर्णयन किया जाएगा।

सोमित दासगुप्ता, सचिव

संदीप कुमार, अति. सचिव

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

Delhi, the 3rd January, 2006

No. F. 11(133)/2003/Power/12/No. F. 8(18)/DERC/2005-06/3635.—In exercise of powers conferred by Sections 39, 40, 42 read with Section 181 of the Electricity Act, 2003, the Delhi Electricity Regulatory Commission, makes the following regulations for the introduction of open access to the Transmission and Distribution System and terms and conditions thereof :

1. **Short Title and Commencement.**—(1) These regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2005.

(2) These regulations shall come into force on the date of its publication in Official Gazette.

(3) These regulations shall extend to the National Capital Territory of Delhi.

2. **Definitions.**—(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires—

- (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (b) "Central Commission" means the Central Electricity Regulatory Commission constituted under Section 76 of the Act;
- (c) "Commission" means the Delhi Electricity Regulatory Commission being the Commission for the National Capital Territory of Delhi in terms of the first proviso to sub-section (1) to section 82 of the Act;
- (d) "Grid Code" means Grid Code specified by the Central Commission under clause (h) of sub-section (1) of Section 79 of the Act and includes State Grid Code specified by the Commission under clause (h) of sub-section (1) of Section 86 of the Act;

(e) "Nodal Agency" means for the purpose of arranging long-term open access in Transmission, the State Transmission Utility and for the purpose of arranging short-term open access the State Load Despatch Centre. For the open access in Distribution, both for short-term and long-term, the "Nodal Agency" shall be the State Load Despatch Centre;

(f) "Open Access Customer" means a consumer permitted by the Commission to receive supply of electricity from a person, other than distribution licensee of his area of supply, and the expressions includes a generating company and a licensee, who has availed of or intends to avail of open access.

(g) "State" shall mean National Capital Territory of Delhi;

(h) "State Government" means the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239 AA of the Constitution;

(i) "State Transmission Utility (STU)" means the State Transmission Utility operating as such, under the Act, in the State;

(j) "State Load Dispatch Centre (SLDC)" means State Load Dispatch Centre operating as such, under the Act, in the State;

(2) Words and expressions occurring in these Regulations and not defined hereinabove shall bear the same meaning assigned to them in the Act.

3. **Extent of Application.**—These Regulations shall apply to open access for use of intra-state transmission system and distribution systems in the State within the meaning of the term defined in sub-section (37) and sub-section (19), respectively of Section 2 of the Act.

4. **Eligibility for Open Access and Conditions.**—

(1) The Licensees, the Generating companies, including the persons who have established a captive generating plant and the intending consumers, shall be eligible for non-discriminatory open access to the intra-state transmission system of the State Transmission Utility or any transmission licensee, subject to the availability of adequate transmission facility in the Intra-State Transmission System of the State and further, subject to the payment of the transmission charges, as may be determined by the Commission, from time to time :

Provided that in the event such open access is for the use by a consumer including the transmission or for otherwise conveyance or wheeling of electricity, as required by any person for delivery to such consumer, in the area of

supply of a Distribution Licensee in the State, the open access to the intra-state transmission system shall be subject to payment of a surcharge, as may be determined by the Commission, from time to time, under sub-section (2) of Section 42 of the Act.

(2) The Licensees, the Generating companies, including the persons who have established a captive generating plant and the intending consumer, shall be eligible for open access to Distribution System of the Distribution Licensee, in accordance with the phases for introduction of open access as provided under regulation 5, herein, and further subject to the absence of operational constraints in the Distribution System and also the payment of the wheeling charges and surcharge, as may be determined by the Commission from time to time :

Provided that in the event such open access is for the use by a consumer including the conveyance or wheeling of electricity as required by any person for delivery to such consumer in the area of supply of a Distribution Licensee in the State, the open access to the Distribution System shall be subject to payment of an additional surcharge as may be determined by the Commission as provided under sub-section (4) of Section 42 of the Act.

Explanation.—For the purpose of the open access under these regulations, the operational constraints in the Distribution System shall include the availability of the adequate capacity in the Distribution System, appropriate metering and energy accounting system where the electricity to be wheeled can be correctly measured and accounted for.

5. Phases of Introduction of Open Access.—(1) The Open Access shall be allowed to the intra-state transmission system in the State immediately, subject to the satisfaction of the conditions contained in the Act or in these Regulations

(2) The Open Access to the Distribution System in the State shall be allowed in the Distribution System subject to the absence of operational constraints in the following phases :

Sl. No.	Particulars	Date of Introduction
a.	Delivery of electricity for use by the Consumers with the connected load of five MW and above.	1st July, 2007
b.	Delivery of electricity for use by the Consumers with the connected load of three MW and above.	1st Jan., 2008
c.	Delivery of electricity for use by the Consumers with the connected load of one MW and above.	1st July, 2008

(3) The Commission may allow Open Access to consumers with capacity requirement less than one MW after the 1st July, 2008, subject to review of the operational constraints and other factors.

6. Special Provisions for existing Open Access customers.—The persons availing open access to the Intra-State Transmission System and the Distribution System in the State under an existing agreement or arrangement, shall be entitled to continue to avail the open access on the terms and conditions applicable to them as before, for the period of the existing agreement or arrangement, subject to the payment of the transmission charges, the wheeling charges and the applicable surcharges as may be determined by the Commission, from time to time.

7. Categorisation of Open Access Customers.—(1) Subject to the provisions of regulation 6, the open access customers shall be divided into two categories, based on the duration of use of the Intra-State Transmission System or the Distribution System, namely :—

- (a) Long-term Open Access Customers; or
- (b) Short-term Open Access Customers.

(2) The persons availing or intending to avail of the open access for a period of one year or less shall be categorise as the short-term access customers.

(3) The persons availing or intending to avail of the open access for a period of more than five year shall be the long-term open access customers.

(4) Short-term open access customer shall be eligible to obtain fresh open access after the expiry of the term and shall be treated as a new applicant for capacity allocation.

8. Allotment Priority.—(1) The priority for allowing open access shall be decided generally on the criteria that the long-term open access customer shall be given priority over the short-term open access customer.

(2) The open access shall be allowed only after determining the capacity available in the intra-state transmission system and the operational constraints, including the capacity available in the Distribution System, the utilisation thereof by the existing customers and the capacity already committed for Transmission, Distribution and Retail Supply of Electricity to the consumers of the Distribution Licensees in the State.

(3) Subject to the above, the decision to allow open access shall be made on the basis of first-come-first-serve.

(4) The Commission may in the public interest and for reasons to be recorded in writing, by a general or special order, deviate from the norms provided above and allow open access to any person in the Intra-State Transmission System and or the Distribution System.

9. Determination of Capacity.—(1) The availability of capacity in the Intra-State Transmission System for long-

term open access shall be determined by the State Transmission Utility and for short-term open access, it shall be determined by the State Load Despatch Centre, after considering the representation of the Transmission Licensees and the person seeking open access.

(2) The availability of capacity in the Distribution System, for long-term and short-term open access, including the existence or absence of operational constraints affecting the open access being allowed shall be determined by the State Load Despatch Centre after considering the representation of the distribution licensee and the person seeking the open access.

(3) In the event of any dispute on the capacity of the Transmission System available or the existence or absence of operational constraints in the Distribution System, to be determined by the State Transmission Utility or State Load Despatch Centre, as the case may be, the same shall be referred to the Commission for adjudication.

(4) The Commission may while deciding on the dispute under sub-regulation (3) above, or otherwise, by a general or special order, made from time to time, lay down the conditions to be complied by the persons seeking open access to the Distribution System in regard to operational constraints and the open access shall be allowed subject to the due satisfaction of such conditions.

(5) The conditions to be satisfied may include construction, operation or maintenance of dedicated electric lines or works from the sub-stations or feeder line or undertaking such other works as the Commission may decide to be necessary for open access without operational constraints.

10. Procedure for seeking Open Access.—(1) The persons seeking open access shall, apply to the concerned nodal agency. The application shall contain details regarding maximum power (MW/KW) to be transmitted or wheeled in the system and accordingly the capacity in the system to be earmarked for the applicant, the point of injection, the point of drawal, duration and hours of availing open access and any other additional information that may be required by the Nodal Agency.

(2) Application for open access should be accompanied by a non-refundable processing fee as given in table below :

Particulars		Amount (Rs.)
Transmission Open Access	Long Term	One lakh
	Short Term	Ten thousand
Distribution Open Access	Long Term	Twenty five thousand
	Short Term	Two thousand five hundred

(3) The Nodal Agency shall, in consultation with State Transmission Utility or State Load Despatch Centre, as the case may be, assess the capacity available and the existence or absence of operational constraints in permitting open access and communicate the decision to

the applicant within the time frame prescribed below :

Sl. No.	No. Type of service/activity	Maximum processing time
1	2	3
1.	Short-term Service (for the period to be treated on first-come-first-service basis)	
(a)	For the same day (Emergency only)	Four hours from receipt of the application.
(b)	Up to one day (Request received at least one day in advance)	Eight hours from receipt of the application.
(c)	Up to one week	Two days from receipt of the application.
(d)	More than a week	Three days from receipt of the application.
2.	Long-term Service	
(a)	Intimation regarding feasibility of access without system strengthening	Thirty days from receipt of the application.
(b)	Intimation of results of studies for system strengthening with cost estimates and completion scheduled	Sixty days from receipt of the application.

(4) The Nodal Agency shall decide on the capacity available or the existence of operational constraints, consistent with the principles and guidelines as decided by the State Transmission Utility. State Transformation Utility shall decide such principles within thirty days of publication of these Regulations.

(5) The Nodal Agency shall also inform the applicant of the prerequisites required for the activation of open access. Such prerequisites shall be as directed by the Commission from time to time.

11. Non-Utilisation of open access capacity.—(1) In the event of inability of the short-term open access customer to utilize, continuously for more than four hours, on any day, full or substantial part of the capacity allocated to him, such a short-term open access customer shall inform the respective State Load Despatch Centre of his inability to utilise the capacity, along with reasons, thereof, and may surrender the use of capacity allocated to him. However, such short-term open access customer shall bear full transmission and or wheeling charges based on the original reserved capacity till the time such capacity is allotted to some other customer.

(2) A long-term open access customer shall not relinquish or transfer his rights and obligations laid down in the long-term open access agreement without prior approval of the Nodal Agency. The relinquishment of

transfer of such rights and obligations by a long-term open access customer shall be subject to payment of compensation by the customer, as per the terms of the long-term open access agreement.

(3) The State Load Dispatch Centre may cancel or reduce the capacity allocated to a short-term open access customer when such a short-term open access customer, frequently under-utilizes the allocated capacity or fails to inform of his inability to utilise the allocated capacity to the State Load Dispatch Centre, Transmission Licensee or Distribution Licensee, as the case may be :

Provided the capacity allotted shall not be reduced or cancelled under this clause without notice to such customer whose reserved allotted capacity is sought to be cancelled or reduced.

(4) The surplus capacity available as a result of its surrender by the short-term open access customer, under sub-regulation (1) above or reduction or cancellation of capacity by the State Load Dispatch Centre, under sub-regulation (3) above, may be allocated to any other short-term open access customer.

12. Applicable Charges.—(1) The Open Access Customers shall pay the transmission charges, wheeling charges, surcharges, additional surcharges, scheduling charges (payable to State Load Dispatch Centre), unscheduled inter-change (UI) charges, reactive energy charges and such other charges as the Commission may determine from time to time, as a part of the tariff under Sections 61, 62 and 86 of the Act or otherwise decide or authorise the Nodal Agency to charge in exercise of its regulatory powers under the Act.

(2) The Commission, while determining the charges for open access to the Transmission System or the Distribution System, provide for adjustment of losses in the system either in terms of money or in the quantum of electricity to be delivered at the destination, after the transmission and/or wheeling of electricity as the Commission considers to be appropriate.

13. Curtailment Priority.—When because of transmission constraints or otherwise, it becomes necessary to curtail the transmission service, the short-term open access customers shall be curtailed first followed by the long-term open access customers :

Provided that within a category, the open access customers shall have equal curtailment priority and shall be curtailed on prorata basis :

Provided further that in case of such curtailment, the transmission or wheeling charges paid by open access customers shall be reduced in proportion to their curtailed capacity.

14. Other Conditions.—(1) The Open Access customers shall meet the metering requirements as the Commission may direct from time to time. The meters shall always be maintained in good condition and shall be open for inspection by any person authorised by the concerned Licensee

(2) The Open Access customers shall abide by the Grid Code, the State Grid Code and instructions given by State Transmission Utility, the State Load Dispatch Centre and other authorities from time to time.

(3) The Open Access customer shall abide by the provisions of the Act, rules and regulations and the directions, guidelines and Orders of the Commission made from time to time.

15. Information System.— The State Load Dispatch Centre shall maintain the following information on their websites in a separate web-page titled "Open Access Information" :

(1) A status report on the current short-term customers indicating :—

- (a) Name of the customer;
- (b) Period of the access granted (start date/time and end date/time);
- (c) Point(s) of injection;
- (d) Point(s) of drawal;
- (e) Transmission/Distribution system used (in terms of area and ownership);
- (f) Reserved capacity; and
- (g) Applicable rate (Rs. per MW per day).

(2) Month-wise and year-wise report on post short-term customers indicating :—

- (a) Name of the customer;
- (b) Period of the access granted (start date/time and end date time);
- (c) Point(s) of injection;
- (d) Point(s) of drawal;
- (e) Transmission/Distribution systems used;
- (f) Reserved capacity;
- (g) Applicable rate (Rs. per MW per day); and
- (h) Actual load factor.

16. Dispute Resolution.—(1) The complaints regarding all grievances and disputes relating to open access shall be made to the State Transmission Utility or State Load Dispatch Centre, as the case may be, which may investigate and endeavour to resolve the grievance amicably.

(2) If State Transmission Utility or State Load Dispatch Centre is unable to redress the grievance or complaint or dispute, the matter may be referred to the Commission, by the State Transmission Utility or State Load Dispatch Centre as the case may be, for adjudication.

17. Issue of Orders and Practice Directions.— Subject to the provisions of the Act, and these regulations, the Commission may, from time to time, issue Orders and Practice Directions in regard to the implementation of these regulations and procedure to be followed on various matters, which the Commission has been empowered by these regulations to direct and matters incidental or ancillary thereto.

18. Powers to Remove Difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may do or undertake to do things or by a general or special order, direct the Transmission or Distribution Licensee, to take suitable action, not being inconsistent with the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing difficulties.

19. Power to Amend.—The Commission may, at any time vary, alter or modify any provision of these regulations.

20. Inquiries and Investigations.—All inquiries, investigation and adjudication shall be done by the Commission through a proceeding as per the provisions of DERC (Conduct of Business) Regulations, 2001.

SOMIT DASGUPTA, Secy.

SANDEEP KUMAR, Addl. Secy. (Power)